

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/021	212 RTA	निपातिया	5, 931
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अज्ञानता		बनाम	गोपीलाल बंसो

वकील :- अवर सिंह पाटील एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23/4/21	<p>अभिज्ञान के प्रमाण द्वारा प्रमाणित 212 RTA विफलता अभ्यापी गण के इस्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट करिस्ता वग अवलोकन किया गया प्रचरण दर्ज शनिस्टर किया जाके तथा अभ्यापी गणों को जस्टि सम्मत तलब कर पत्रावली दिनांक 18/5/21 को पेश हो।</p> <p><i>M</i> उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा (राज.)</p>	
18/5/21	<p>भारतीय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/6/21 को पेश हो।</p> <p><i>राज</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
21/6/21	<p>भारतीय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/7/21 को पेश हो।</p> <p><i>राज</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
27/7/21	<p>भारतीय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6/9/21 को पेश हो।</p> <p><i>राज</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	



आज पीनारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 5.3.24 को भेरा हो।

14
15
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

5-3-24 पत्रावली पत्र डूबे वकालत जारी उपाय किए किन्तु जमीन जुनी जहाँ पत्रावली जारी आदेश दिनांक 01-4-24 को भेरा है।

01-4-24 पत्रावली पत्र डूबे वकालत जारी उपाय जारी का काउ स्वीकार किया जा चुका है इस प्रकार से किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना शेष नहीं है जमीन का जमाना पत्र डूबे किया जाता है पत्रावली मेल्लु सुकार होकर काउ नसीब वकालत के दाखिले दफ्त है।